

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-03/प्रो-05-03/14...../राँची, दिनांक

—: आदेश :—

श्री अनिल कुमार, कनीय अभियंता (सेवानिवृत्त), ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, धनबाद को दिनांक-16.07.18 को आहूत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में विभागीय आदेश सं०-2208 दिनांक-20.12.01 एवं 2290 दिनांक-17.08.11 के द्वारा श्री कुमार को क्रमशः वर्ष 1998-99 एवं वर्ष 2006-07 में निंदन का दण्ड संसूचित रहने के कारण विभागीय आदेश सं०-583 दिनांक-02.05.11 के द्वारा प्रदत्त प्रथम एवं द्वितीय ए०सी०पी० की देय तिथि दिनांक-9.08.99 को संशोधित करते हुए दिनांक 1.04.02 किया जाता है।

2. पूर्व में स्वीकृत ए०सी०पी० के तहत अगर कोई वित्तीय लाभ इन्हें प्रदान किया गया हो तो उपर्युक्त संशोधन के आलोक में वित्तीय लाभ की वसूली एकमुश्त कर ली जाएगी।
3. विभागीय आदेश सं०-583 दिनांक-02.05.11 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।
4. उक्त संशोधन के प्रस्ताव में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा, आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

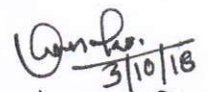
ज्ञापांक :- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 3315 राँची, दिनांक :- 03/10/18
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, दुमका/बायोडाटा कोषांग/वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


3/10/18
सरकार के अवर सचिव।